Hindi

Australian Government

दिवाली या प्रकाश का उत्सव

जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी)

सितंबर 2023

जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

विदेशों से लाए जाने वाले खाद्य-पदार्थों, वानस्पतिक सामग्रियों (प्लांट मैटिरियल) तथा पशु उत्पादों (एनिमल प्रॉडक्ट्स) से विश्व के सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुँचाने वाले, हानिकारक कीट तथा रोग ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं। इससे हमारे अनोखे वातावरण तथा मूल्यवान कृषि और पर्यटन उद्योगों का विनाश हो सकता है।

अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या आपके यहाँ विदेश से अतिथि आने वाले हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आपको, आपके परिवार को और आपके यहाँ आने वाले मेहमानों को ऑस्ट्रेलिया के कठोर जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) क़ानूनों के बारे में मालूम हो।

अगर आपके लिए दिवाली के उपहार डाक से आने वाले हैं, तो विदेश में अपने परिवार और दोस्तों से कहें कि सामान पोस्ट करने से पहले वे यह पता कर लें कि उन चीज़ों की ऑस्ट्रेलिया में अनुमति है।

जो चीज़ें जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) के लिए ख़तरा होती हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आने से हम कैसे रोकते हैं

जिन चीज़ों से विनाशकारी कीटों तथा रोगों के ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की संभावना होती है उनका पता लगाने के लिए आने वाले यात्रियों के सामानों और अंतर्राष्ट्रीय डाक से आने वाली चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिकारियों द्वारा यात्रियों से पूछताछ, या एक्सरे मशीनों, सूँघकर पता लगा लेने वाले कुत्तों का उपयोग और/या हाथों से निरीक्षण शामिल हो सकता है।

जिन चीज़ों से जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) को ख़तरा होता है

दिवाली के जिन उपहारों से जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) को ख़तरा उत्पन्न हो सकता है, उनमें शामिल है:

- बरफी, रसमलाई, रसगुल्ले या पेड़े जैसी मिठाईयाँ
- जिन चीज़ों में दुग्ध-उत्पाद (डेयरी) होते हैं
- ताज़ा फ़ल और सूखाये गए फ़ल
- मसाले और चाय
- बिना सिके मेवे (रॉ नट्स), बीज और हर्ब्स
- पुष्प (फूल) और वानस्पतिक सामग्रियाँ (प्लांट मैटिरियल)।

जिन चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया में लाने की अनुमति है

दिवाली के जिन उपहारों से जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) को ख़तरा उत्पन्न नहीं होता है, उनमें शामिल है:

- नकली पुष्प (फूल)
- कपड़ें, सोने या चांदी के मनके (बीड्स) तथा सिक्के
- निजीकृत फोटो आइटम्स।

ऑस्ट्रेलिया को विनाशकारी कीटों तथा रोगों से बचाने में सहायता करें

- अपने दिवाली के उपहार ऑस्ट्रेलिया में ही ख़रीदें।
- चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया में लाने या डाक द्वारा यहाँ भेजने के लिए पोस्ट करने से पहले, **agriculture.gov.au/mailing-bringing-goods** पर जाकर यह पता कर लें कि ऑस्ट्रेलिया में उन चीज़ों की अनुमति है।
- उल्लंघन नोटिस से बचने के लिए, यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया आते समय आपको इनकिमंग यात्री कार्ड को पूरी ईमानदारी से सही-सही भरना और वानस्पतिक (प्लांट) तथा पशु उत्पादों (प्रॉडक्ट्स) को घोषित करना अनिवार्य है।
- विदेश में अपने परिवार और दोस्तों से कहें कि वे यह मालूम कर लें कि वे जो उपहार ऑस्ट्रेलिया लाना या पोस्ट करना चाहते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में लाने या भेजने अनुमति है।

दिवाली के उपहारों को ऑस्ट्रेलिया लाना या पोस्ट करना

अगर आप यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और दिवाली के उपहार ला रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पहुँचने से पहले आपको इनकमिंग पैसेंजर कार्ड दिया जाएगा। अगर आप अपने साथ खाद्य-वस्तुएँ, वानस्पतिक सामग्रियाँ (प्लांट मैटिरियल) तथा पशु उत्पाद (एनिमल प्रॉडक्ट्स) ला रहे हैं तो आपको "हाँ (Yes)" पर निशान लगाना ज़रूरी है। जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) के लिए ख़तरे वाले किसी भी सामान को, आपको निरीक्षण से पहले ही, अवश्य ही घोषित करना होगा या फेंकना होगा। अगर आप किसी जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिकारी को या अपने इनकमिंग पैसेंजर कार्ड में झूठी या भ्रमित करने वाली जानकारी देते हैं, या आप सामानों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं या
जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको:

- एक उल्लंघन नोटिस दिया जा सकता है
- न्यायालय में दीवानी (सिविल) दंड मुक़दमा (civil penalty proceedings) चलाया जा सकता है, और/या
- एक दंडात्मक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

आपका वीज़ा भी रद्द किया जा सकता है, और यदि ऐसा हुआ, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति देने से मना कर दिया जाएगा और आप वापस ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम तीन साल तक पात्र नहीं रहेंगे।

अगर आप सभी सामानों को घोषित करते हैं और दिखा देते हैं, तो अगर उनको ऑस्ट्रेलिया में लाने की अनुमति नहीं भी है तो भी, आपको *जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिनियम 2015 (Biosecurity Act 2015)* के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

अगर आपके लिए दिवाली के उपहार डाक से आने वाले हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके परिवार और दोस्त, भेजे जाने वाले सभी सामानों की सामग्रियों की सही तरीके से सूची बनाएँ और आवश्यकतानुसार घोषणा के सभी लेबलों और फार्मों को भरें।

अगर आपके सामानों को प्रशोधन (ट्रीटमेंट) की ज़रुरत है, तो आपको प्रशोधन (ट्रीटमेंट) के लिए भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। प्रशोधन (ट्रीटमेंट) के बाद, सामान को आपके पास भेजने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। जिन सामानों के लिए प्रशोधन (ट्रीटमेंट) का विकल्प नहीं है, उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा।